



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127722

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20644/2026

अंबिकादास

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता:

मनोज यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, कृपा शंकर प्रसाद

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज यादव, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री कृपा शंकर प्रसाद और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन कौशांबी जिले के कोखराज पुलिस थाना के मामले संख्या 218/2025 में धारा 318(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज की गई थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धोखाधड़ी करके मुखबिर से 15 लाख रुपये प्राप्त किए और उसे नकली सोना मुहैया कराया। जांच के दौरान आवेदक को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके पास से 2.7 लाख रुपये बरामद किए गए हैं, लेकिन आवेदक के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, राधादास को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 6.5.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14268/2026 में पारित आदेश "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के माध्यम से जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25.05.2025 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, राधादास को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख में प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् राधादास को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 25.5.2025 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

8. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी **अंबिकादास** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और **उत्तर प्रदेश राज्य के दो स्थानीय जमानतदारों** को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आरोपी यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आरोपी प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। (iii) यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता/ 269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ 84 भारतीय न्याय संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता/ 209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियाँ पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायालय को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

16 जून, 2026

फहद

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"